

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

कार्यालय आदेश

श्री प्रदीप कुमार, अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना एवं हस्तशिल्प क्लस्टर योजना/सोलर चरखा क्लस्टर योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले क्लस्टरों का स्थल निरीक्षण करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत नियमानुसार बनाए जा रहे सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना सुनिश्चित करायेंगे तथा प्रत्येक जिला में नए क्लस्टरों को चिन्हित कराने के दिशा में भी कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु वे निदेशक, उद्योग से आवश्यक समन्वय कर कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-
सचिव
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 3052

पटना, दिनांक 5.8.19

प्रतिलिपि:- संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
3. क्लस्टर विकास योजना से संबंधित पी०एम०ए० (सर्वश्री आई०एल० एंड एफ०एस० क्लस्टर इनिशिएटिव एवं सर्वश्री ग्रान्ट थोर्टन इंडिया एल०एल०पी०) को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक (ह० एवं रे०), हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

07/8/19